न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 76/2016

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

1 देवीसिंह पुत्र सुल्तान सिंह।
1/1 श्रीमती कमल कंवर पत्नी देवीसिंह।
1/2 रघुवीर सिंह पुत्र देवीसिंह।
1/3 सुमन कंवर पुत्री देवी सिंह।
1/4 किरण कंवर पुत्री देवीसिंह।
1/5 महेन्द्र सिंह पुत्र देवीसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ढ़ाणी खर्दु तन सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हनुमान सिंह फौत।
1/1 श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी हनुमान सिंह।
1/2 भंवर सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
1/3 बजरंग सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
1/4 मूल सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
1/5 संतोष कंवर पुत्री हनुमान सिंह।
1/6 विमल कंवर पुत्री हनुमान सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर।
2 तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर
द्वितीय सीकर बउनवानी देवीसिंह बनाम हनुमान सिंह
मुकदमा नम्बर 92/2006 तारीख फैसला दिनांक
07.06.2013 जिसके द्वारा वादी का वाद खारिज किया

अपील संख्या 09/2018

1 श्रीमती मोहन कंवर पत्नी बक्सूसिंह।
2 मोतीसिंह पुत्र बक्सूसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलांट

बनाम

1 हनुमान सिंह फौत।
1/1 श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी हनुमान सिंह।
1/2 भंवर सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
1/3 बजरंग सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
1/4 मूल सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
1/5 संतोष कंवर पुत्री हनुमान सिंह।
1/6 विमल कंवर पुत्री हनुमान सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर।
2 केशर सिंह फौत।
2/1 किशोर सिंह दत्तक पुत्र केशर सिंह।
3 कानसिंह फौत।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3/1 श्रीमती सुप्यार कंवर पत्नी कानसिंह।
3/2 जीवण सिंह पुत्र कानसिंह।
4 रेवन्त सिंह पुत्र खेतसिंह।
5 गिरधारी सिंह पुत्र खेतसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर।
6 तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।
7 सुरजा कंवर पत्नी रघुवीर सिंह।
8 जुगल कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण गांवडी गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
9 श्रीमती मैन्य कंवर पत्नी रणजीत सिंह पुत्री बक्सू सिंह जाति राजपूत निवासी कुनसीसर जिला चुरू।
10 श्रीमती छगन कंवर पत्नी नमेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी कुनसीसर जिला चुरू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर
द्वितीय सीकर बउनवानी बक्सुसिंह बनाम हनुमान सिंह
मुकदमा नम्बर 372/2008 तारीख फैसला दिनांक
07.06.2013 जिसके द्वारा वादी का वाद खारिज किया

उपस्थिति :

1. श्री नसीर अहमद खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मंयक कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक:– 03.12.2021

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 92/2006,372/2008 में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों के पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय मे वादी बक्सुसिंह, देवीसिंह द्वारा वाद उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सिहोट छोटी तहसील व जिला सीकर में आराजी खसरा नम्बर 167 रकबा 0.36 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसमें वादी प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 काश्तकार काबिज है तथा 30 वर्ष से मय परिवार ढ़ाणी बनाकर आवास निवास कर रहे है। पहलें इनके पिता काश्तकार थे। परन्तु राजस्व रिकार्ड में हनुमान सिंह पुत्र नत्थुसिंह राजपूत दर्ज है। जब कि उक्त नाम का कोई व्यक्ति हमारे परिवार में नहीं था। जो नत्थु सिंह 60 वर्ष पूर्व ही नाऔलाद फौत हो चुका था तथा नत्थुसिंह नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं है। अत वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 के खातेदार काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किये है। इससे व्यथित होकर यह दो प्रथक–प्रथक अपीले प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि नत्थुसिंह नाऔलाद फौत हो गया था। विवादित भूमि पर वादीगण अपीलांट ही काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हनुमान सिंह पुत्र नत्थुसिंह नाम का कोई व्यक्ति गांव अथवा परिवार में उपलब्ध नही है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय को मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2015 (1) आर.जे. पेज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

183 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किये जाने में उन्हे आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में वाद में कथन आया है कि नत्थुसिंह नाऔलाद फौत हो गया था। विवादित भूमि पर वादीगण अपीलांट ही काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हनुमान सिंह पुत्र नत्थुसिंह नाम का कोई व्यक्ति गांव अथवा परिवार में उपलब्ध नही है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय को मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में राजीनामे पर कोई विवेचन नही किया है। विधि अनुसार गिरदावरी का अंकन रिकार्ड ऑफ राईट नही है। विचारण न्यायालय को राजीनामे के परिप्रेक्ष्य में विधि अनुसार विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को राजीनामे के परिपेक्ष्य में गुणावगुण पर विवेचन कर पुन निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर